—: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट राजस्व रिकार्ड दुरूस्ती बाबत :—

—:: उपस्थित अभिभाषकगण ::—

1. श्री सुशील कुमार रोलन --- प्रार्थी
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीलीबंगा --- अप्रार्थी

—:: निर्णय :—

दिनांकः— 12/5/26

अधिवक्ता प्रार्थी श्री राजेन्द्र कुमार पटीर द्वारा वादी की ओर से अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट तहत प्रस्तुत किया गया है जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि—यह कि प्रार्थी व अप्रार्थी का पंजीकृत एवं प्रमाणित पता वही है जो प्रार्थना—पत्र के शीर्षक मे अकिंत है। यह कि प्रार्थी के नाम से कृषि भूमि वाके तहसील पीलीबंगा के चक बडोपल बारानी के खाता सं. 156/176 के खसरा सं. 2503/1363, 506/1365 की 12.650 हैक. बरानी खातेदारी कृषि भूमि में 2.530 हैक. बारानी मे से प्रार्थी का 1/6 हि० दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जिसमे प्रार्थी का नाम भैराराम पुत्र श्री चेतनराम दर्ज है।

जमाबन्दी सलंग्न प्रार्थना—पत्र है। यह कि प्रार्थना—पत्र की दफा 2 मे वर्णित कृषि भूमि की जमाबन्दी मे प्रार्थी का नाम सहवन से भैराराम पुत्र श्री चेतनराम दर्ज है। जबकि प्रार्थी का सही नाम प्रेम कुमार पुत्र श्री चेतन राम है। प्रार्थी के आधार कार्ड, पहचान—पत्र, पैन कार्ड, जनआधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पास बुक आदि मे प्रार्थी का नाम प्रेम कुमार पुत्र चेतन राम दर्ज है। जो सही व सत्य है।

यह कि प्रार्थी का नाम प्रार्थना—पत्र की दफा 2 मे वर्णित कृषि भूमि मे भैराराम पुत्र चेतनराम दर्ज होने के कारण प्रार्थी को केसीसी लेने, कृषि भूमि मे टयूबवैल कनैक्शन लेने, निर्माण करने, बीमा कलेम लेने आदि मे अन्य सरकारी सुविधाएं लेने मे काफी परेशानी होती है। इसलिये प्रार्थी अपने नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड मे अपना नाम भैराराम पुत्र चेतनराम के स्थान पर प्रेम कुमार पुत्र चेतन राम दर्ज करवाने का हकदार है।

यह कि अप्रार्थी जो कि भू—धारक है तथा उक्त रिकार्ड की दुरूस्ती अप्रार्थी के द्वारा ही की जानी है इस कारण अप्रार्थी को आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। यह कि प्रार्थना—पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है जो उचित न्याय शुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है।

अतः प्रार्थना—पत्र मय शपथ—पत्र पेश कर निवेदन है कि तहसील पीलीबंगा के चक बडोपल बारानी के खाता सं. 156/176 के खसरा सं. 2503/1363, 2506/1365 की 12.650 हैक. बारानी खातेदारी कृषि भूमि मे 2.530 हैक. बारानी मे से प्रार्थी का

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

1/6 हि० मे प्रार्थी का नाम भैराराम पुत्र श्री चेतनराम के स्थान पर प्रेम कुमार पुत्र श्री चेतनराम दर्ज करने के आदेश फरमाये जावे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार पीलीबंगा से रिकार्ड के सम्बन्ध में जांच रिपोर्ट पत्रांक 197 दिनांक 09.04.26 से प्रस्तुत की गई **मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार अनुसार** –ग्राम बडोपल बारानी जमाबंदी संवत 2070–2073 के खाता संख्या 156 के 2.530 हेक्टेयर में 1/6 हि. भेराराम पुत्र चेतनराम जाति मेघवाल सा. बडोपल खातेदार दर्ज है। प्रार्थी के मूल दस्तावेज यथा आधार कार्ड–पहचान पत्र– जनाधार कार्ड– राशन कार्ड में प्रेमकुमार पुत्र चेतनराम दर्ज है. मोके पर उपस्थित मोत वीरान के अनुसार भेराराम पुत्र चेतनराम ही प्रेमकुमार पुत्र चेतनराम है, भेराराम नाम से अन्य कोई वारिश, चेतनराम पुत्र दीपाराम जाति मेघवाल सा. बड़ोपल का नहीं है। प्रार्थी के मूल दस्तावेज एवं चेतनराम पुत्र दीपाराम जाति मेघवाल सा. बडोपल के भेराराम नाम से अन्य कोई वारिश नही होने के कारण प्रार्थी प्रेमकुमार पुत्र चेतनराम का नाम प्रेमकुमार उर्फ भेराराम पुत्र चेतनराम जाति मेघवाल निवासी बडोपल किया जाना उचित है।

प्रकरण में प्रार्थी द्वारा साक्ष्य के रूप में शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है शामिल पत्रावली है।

बहस सुनी गई। बहस में अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा बहस में कथन किया कि प्रार्थना पत्र स्वीकार कर भेराराम पुत्र चेतनराम के स्थान पर प्रेमकुमार पुत्र चेतन राम किया जावे।

बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया। तसहीलदार रिपोर्ट का गहन अध्ययन किया गया मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार कर अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट के तहत आदेश पारित किया जाता है कि – तहसील पीलीबंगा के चक बडोपल बारानी के खाता सं. 156/176 के खसरा सं. 2503/1363, 2506/1365 की 12.650 हैक. बारानी खातेदारी कृषि भूमि मे 2.530 हैक. बारानी मे से प्रार्थी का 1/6 हि० मे प्रार्थी का नाम भैराराम पुत्र श्री चेतनराम के स्थान पर प्रेम कुमार पुत्र श्री चेतनराम दर्ज किया जावे। शेष खाता यथावत रहेगा। तहसीलदार पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उपर्युक्तानुसार आदेशों की पालना सुनिश्चित करें।

पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो। यह आदेश आज दिनांक 12/5/26 सरे ईजलास पढ़कर सुनाया गया।

(उमा मित्तल आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा